न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–381/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00162)

1. भगवान सहाय पुत्र भैरू बागड़ा, जाति बागड़ा, निवासी ग्राम कालाडेरा तड़सील चौंमू जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री कल्याण सहाय, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सेदावती का बास तन ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. गिरिराज शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सुन्दर नगर दुर्गापुरा, जयपुर जिला जयपुर।
3. कुंजबिहारी पुत्र बद्रीनारायण शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी रेनबो टॉवर के सामने रेनवाल रोड़, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी कुंजबिहारी पुत्र बद्रीनारायण शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासी रेनबो टॉवर के समाने रेनवाल रोड़, कस्बा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 24.06.2016 (प्रकरण संख्या 51/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनसथ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2016 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में पारित किया गया है जबकि राजस्व लोक अदालत का एकमात्र उद्देश्य पक्षकारों के मध्य आपस मे समझाईस कर प्रकरण को निस्तारित करना होता है लेकिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पक्षकारों के मध्य समझाईस का प्रयास किया गया, ना ही पारित निर्णय में इस सम्बन्ध में कोई वरडिक्ट ही निर्णय में दिया बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणदोषों पर बिना पक्षकारों व पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2016 पारित किया गया है, जो निर्णय की तारीफ में नही आता है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

सकता है राजस्व कैम्प व लोक अदालत में आदेश मात्र आपसी समझाईस व राजीनामें के आधार पर पारित किया जाता है अगर कोई निर्णय बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया जाता है तो वह विधिक रूप से निणर्य की तारीफ में नही आता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(क) की तारीफ में नही आता है तथा राज्य सरकार द्वारा पारित परिपत्र दिनांक 28.04.2015, 06.05.2015 व दिनांक 05. 05.2015 की पालना भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2016 विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2016 की जानकारी दिनांक 29.08.2016 से पूर्व कभी नही थी, दिनांक 29.08.2016 को अपीलार्थी भगवान सहाय द्वारा अपने अधिवक्ता से अपने प्रकरण की जानकारी करने आया तब अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली के बारे में जानकारी की तब अपीलार्थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय के सम्बन्धित क्लर्क द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के प्रकरण का निस्तारण दिनांक 24.06.2016 को हो गया है, उक्त जानकारी होने पर दिनांक 29.08.2016 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो नकल अपीलार्थीगण को दिनांक 29. 08.2016 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन करने से अपीलार्थी की जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण का निस्तारण दिनांक 24.06.2016 को कर दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 29.08.16 को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर तथा अपीलार्थी ने दिनांक 29.08.2016 को ही नकल की अर्जी लगाई जो नकल अपीलार्थी को दिनांक 29.08.2016 को मिली तथा शेष वक्त उक्त अपील तैयार करने में लगा इस प्रकार उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने तथा आदेश की नकल प्राप्त करने में लगा समय अपील तैयार करने में लगा समय की व अपील पेश की अवधि को कण्डोन करने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई तथा इस बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि सीमाज्ञान रिपोर्ट सही मुन्तकिल पाईन्ट से नही की गई बल्कि मनमाने [illegible] एवं कब्जे काश्त की भूमि को हथियाने

गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 15.07.2016 नियत की गई, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण में बिना अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को कोई नोटिस जारी किये व बिना कोई सूचना दिये दिनांक 24.06.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 का प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 स्वीकार फरमा दिया गया, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2016 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की जरिये विक्रय पत्र खातेदारी भूमि ग्राम कालाडेरा में खसरा नम्बर 2061/2 रकबा 0.59 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1792/2 रकबा 0.09 हैक्टयर ग्राम कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर पर मूल्यवान प्रतिफल के बदले विक्रय कर काबिज काश्त होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त भूमि को काफी मेहनत व काफी पैसा व्यय करके उपजाऊ हेतु काबिल काश्त बनाया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 मात्र पड़ौसी खातेदार है जिनकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पश्चिम व पूर्व में खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2061/1 व 2061/3 है, जो भूमियॉ भी पटवार हल्का कालाड़ेरा में स्थित है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 4 का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की जरिये विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 2061/2 व 1792/2 से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 आये दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि की सीमाओं को नष्ट–भष्ट करते रहते है व आये दिन मवेंसियों के जरिये फसल को व प्राकृतिक पैदावार को नष्ट कराते रहते है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का पेश करना लाजमी होने पर पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करके ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपील स्वीकार करने मे अपनी सहमति दी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार

जगह तारीख पेशी दिनांक 24.06.16 अंकित की गई है तथा दिनांक 24.06.16 केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर आदेशिका में अंकित करवाकर अपीलाधीन आदेश लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कालाडेरा में पारित किया गया है जबकि उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट में लगाने सम्बन्धी सूचना अन्य पक्षकारान को दिये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नही है एवं लोक अदालत में प्रकरणों का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से निस्तारण किया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश गुणावगुण पर एक तरफा पारित किया गया है जिसे लोक अदालत की भावना से पारित किया गया निर्णय नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर एक माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।